—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 95/2019

उनवान

1. मूनी पत्नी भिया
2. जमना पुत्री भिया समस्त जाति मेहराम निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मोती सिंह पुत्र दल्ला उर्फ दुला (फौत) जरिये वारिस
1/1. संतोष पत्नी मोती
1/2. उदय सिंह उर्फ कालू पुत्र मोती
2. प्रभु सिंह पुत्र गुलाब
3. बीरम सिंह पुत्र गुलाब
4. राम सिंह पुत्र गुलाब
5. सुखदेव पुत्र गुलाब
6. नीरा पत्नी गुलाब (तर्क)
7. प्रेम पत्नी गोपाल
8. विक्रम पुत्र गोपाल
9. महेन्द्र पुत्र गोपाल
10. साईजा पुत्री गोपाल
11. अमरी पुत्री मंगला
12. महेन्द्र पुत्र मंगला
13. विजेन्द्र पुत्र मंगला
14. शारदा पुत्री मंगला
15. शान्ति पत्नी भवंर सिंह उर्फ भोलू
16. उपेन्द्र पुत्र भवंर सिंह उर्फ भोलू
17. उर्मिला पुत्री भवंर सिंह उर्फ भोलू
18. दीपू पुत्र भवंर सिंह उर्फ भोलू समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
19. दी मेनेजर स्टेट बैंक आफ बडौदा शाखा राजगढ
20 उप पंजीयक, नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

21. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 20 व 21 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 30/7/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा में स्थित आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी कायतकारी की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वर्किंग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
5829	1—17—0	6829	0—7—0	2332	0.30
		6830	1—9—0		
		6826	0—1—0		
5830	0—18—0	6831	0—18—0	2333	0.15
5834	3—8—0	6834	0—2—0	2378	0.02
		6835	1—9—0	2379	0.23
		6836	1—17—0	2376	0.17
				2377	0.13
5838	5—9—0	6840	1—15—0	2371 मिन	0.14
				2372 मिन	0.14
		6842	2—19—0	2371 मिन	0.19
				2372 मिन	0.19
				2370 मिन	0.10
		6843	0—15—0	2370 मिन	0.12
5841	2—16—0	6844	2—7—0	2385	0.38
5751	12—18—10	6705	11—10—10	3031	0.08
				3038	1.55

उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 5829, 5830, 5834, 5838, 5841, 5751 की आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में दूला व भिया पि. खूमा के नाम खातेदारी दर्ज थी। दूला उर्फ दल्ला की मृत्यु हो गयी है के वारिसान पांच पुत्र क्रमशः मोती (प्रतिवादी संख्या 1), प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पतिा/पति गुलाब, प्रतिवादी संख्या 7 से 10 के पति/पिता गोपाल, प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पति/पिता मंगला व प्रतिवादी संख्या 15 से 18 के पति/पिता भंवर सिंह उर्फ भोलू है। उक्त आराजी में दूला उर्फ दल्ला का 1/2 व भिया का 1/2 हिस्सा निहित है। दुला उर्फ दल्ला के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 18 व भिया के वारिस वादीगण है। उक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी व राजस्व अभिलेख में दल्ला उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:16 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दुला की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण व भिया की मृत्यु के बाद वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से खुमा की विरासत में नामान्तकरण संख्या 21 में भिया को नाऔलाद बताते हुये प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। उक्त नामान्तकरण वादीगण के हितों पर प्रारम्भ से ही शून्य है। आराजी मुतनाजा पर किये गये उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा आराजी मुतनाजा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनजा के 1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये किन्तु वाद विचारण के दौरान विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। व साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

राज. पैरोकर ने साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भवानीखेडा की आराजी चौसाला खसरा नम्बर 5829, 5830, 5834, 5838, 5841, 5751 की आराजी चौसाला जमाबंदी में दुला, भिया पि खुमा के नाम सहखातेदारी में दर्ज थी। दुला व भिया दोनो की मृत्यु हो गयी है दुला उर्फ दल्ला के पांच पुत्र है। जिनके वारिस प्रतिवादीगण है। भिया के वारिस वादीगण है। ग्राम पंचायत भवानीखेडा द्वारा दिनांक 20.03.2018 को जारी सजरा प्रमाण पत्र में भी भिया पुत्र खुमा के वारिस वादीगण ही है। नामान्तकरण संख्या 21 में वंर्किग खसरा नम्बर 6830, 6831, 6834, 6835, 6836, 6840, 6842, 6843, 6705, 6841, 6844 की आराजी दुला, भिया पि. खुमा के स्थान पर भीया को नाऔलाद फौत बताते हुये केवल दुला के पांच पुत्रों के नाम दिनांक 13.1.87 को स्वीकृत कर दी। उसी के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में भी आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व सजरा प्रमाण पत्र से वाद के कथनों की ताईद होती है। हाल खसरा नम्बर 3031में वादीगण का नाम दुला पुत्र खुमा के साथ सहखातेदारी के रूप में दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 21 में भीया को नाऔलाद फौत बनाया है जबकि सजरा प्रमाण पत्र व वाद में वादीगण भिया के वारिस सिद्व होते है। उक्त नामान्तकरण भिया के वारिसान की विधक जॉच किये बिना स्वीकार किया गया है। वादीगण ने नियमित वाद से उक्त नामान्तकरण के विरूद्व चाराजोही की है। वादग्रसत आराजी का आंशिक हिस्सा बैंक के पास रहन है किन्तु वादीगण का उक्त आराजी पर 1/2 हिस्सा होने से उक्त रहननामा वादीगण के हितों पर बेअसर है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण उक्त आराजी पर 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:16 IST
Reason: SelfAttested

---4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 2332 रकबा 0.30, 2333 रकबा 0.15, 2370 रकबा 0.22, 2371 रकबा 0.33, 2372 रकबा 0.33, 2376 रकबा 0.17, 2377 रकबा 0.13, 2378 रकबा 0.02, 2379 रकबा 0.23 किता 9 रकबा 1.88 व 2385 रकबा 0.38 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मूमी बनाम मोती सिंह

दावा बाबत :– 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू रा. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 95/2019
पेश करने की दिनांक – 08.08.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 2332 रकबा 0.30, 2333 रकबा 0.15, 2370 रकबा 0.22, 2371 रकबा 0.33, 2372 रकबा 0.33, 2376 रकबा 0.17, 2377 रकबा 0.13, 2378 रकबा 0.02, 2379 रकबा 0.23 किता 9 रकबा 1.88 व 2385 रकबा 0.38 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 7 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद